

झारखण्ड सरकार
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक-रा0खा0आ0 (विविध)-04/2022- 88
प्रेषक,

संजय कुमार,
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव,
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड, राँची।

विषय-

राशन कार्ड बनाने के नाम पर अवैध राशि वसूली करने एवं जनवितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा राशन वितरण में अनियमितता बरतने सम्बन्धी प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि ग्रामीण जनता, ग्राम-आंजन, कुल्ही, जिला-गुमला के नाम से शिकायत-पत्र आयोग को डाक के माध्यम से आयोग को प्राप्त हुआ है, जिसमें जनवितरण प्रणाली वितरक श्री अमरुद्दीन अंसारी के पुत्र अशरफ अंसारी द्वारा राशन कार्ड बनाने के नाम पर अवैध राशि वसूली करने एवं जनवितरण प्रणाली वितरक द्वारा राशन वितरण में अनियमितता बरतने का उल्लेख करते हुए इसकी शिकायत की गई है।

अतः प्राप्त शिकायत-पत्र की प्रति संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नक:- यथोक्त।

विश्वासभाजन



(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

011